न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रीतम कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 170/2017
जीसीएमएस नंबर :– 2017/00140

प्रार्थी :–

1. दलपतसिंह पुत्र श्री डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी विनायकपुरा तह. बावड़ी जोधपुर।
2. मनोहरसिंह उर्फ पप्पुसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वड़ तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. प्रहलादराम पुत्र सुरजाराम जी
2. चेनाराम पुत्र सुरजाराम जी
3. प्रतापराम पुत्र सुरजाराम जी
4. ओमाराम पुत्र सुरजाराम जी
5. मानाराम पुत्र सुरजाराम जी
6. श्रीमती कबूदेवी पत्नी सुरजाराम जी जातियान भाम्बी निवासीगण ग्राम उजलिया, तह. बावड़ी जोधपुर।
7. श्रीमती प्रेमा पत्री सुरजाराम पत्नी श्रवणराम जाति भाम्बी निवासी ग्राम रामपुरा, तहसील तिंवरी जोधपुर।
8. श्रीमती नवली पुत्री सुरजाराम पत्नी जगाराम जाति भाम्बी, निवासी भवाद तह. बाबड़ी जिला जोधपुर।
9. भंवरसिंह पुत्र शेरसिंह जाति राजपूत निवासी 237 न्यू बीजेएस कॉलोनी जोधपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जोधपुर।

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम</u>

–::<u>आदेश</u>::– दिनांक:–02/05/2025

उपस्थिति :–

1. श्री गोविंद सिंह राठौड अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री एन.पी. नहेलिया अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से।
3. श्री महावीर सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं.9 की ओर से।
4. अप्रार्थी सं. 5 से 8 व 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
5. अप्रार्थी सं. 11 की ओर से तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण व अप्राथी सं. 9 की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि कड़वड़ तह. जोधपुर के खसरा सं. 51 रकबा 67.15 बीघा आई हुई है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

द्वारा पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया तो तहसीलदार ने पत्थरगढ़ी करने से मना किया कि पड़ौसी खातेदार पत्थरगढ़ी करने से मना करते है मामला विवादित है। अतः उक्त विवादित खसरा सं. 50 की भूमि के पत्थरगढ़ी का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं. 1 से 4 व 9 की ओर से बावजूद उपस्थित जवाब पेश नहीं किया गया, इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 5 से 8 व 10 बावजूद तामील अनुपस्थित इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट मंगवाई। तहसीलदार द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2017 की पालना में ग्राम करवड़ के खसरा सं. 51 रकबा 67.15 बीघा के सीमांकन हेतु सीमांकन रिपोर्ट मय मौका फर्द प्राप्त हुई जो निम्नानुसार है

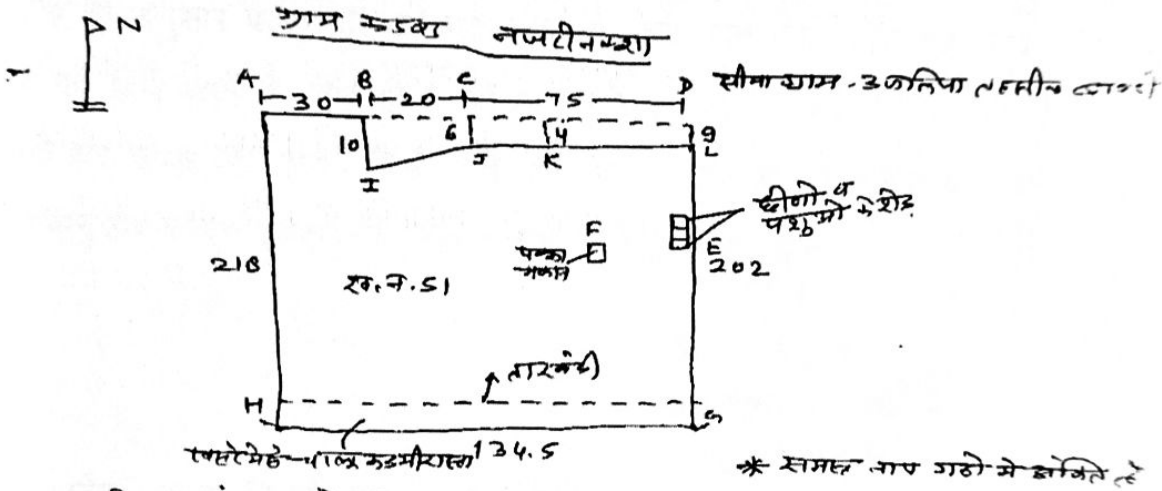

बिन्दु संख्या A से B तक = 30 गठा
" B से I तक = 10 गठा
" B से C तक = 20 गठा
" C से D तक = 75 गठा
" C से J तक = 6 गठा
" A से H तक = 218 गठा
" H से G तक = 134.5 गठा
" G से L तक = 202 गठा
मौके पर E बिन्दु वाले पर पशुओं के शेड
F बिन्दु वाले पर पक्का मकान
बिन्दु B, C, D, L, K, J, I [illegible]
[illegible]
में [illegible] पालना [illegible] की गई।

अप्रार्थीगण को उचित अवसर प्रदान किए जाने के बावदजू बहस में उपस्थित नहीं होने के कारण बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई। पत्रावली तथा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह कथन रहा है कि प्रार्थीगण अपनी इस संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में पेमाईस अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

बिना पत्थरगढ़ी के प्रार्थीगण के उक्त खेत खुले पड़े रहने के कारण आवारा पशु फसल को बर्बाद कर देते है।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को का अध्ययन किया विचार किया गया। ग्राम करवड़ पटवार हल्का करवड़ तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 51 रकबा 67–15 बीघा दलपत सिंह पिता डूंगरसिंह वगै. के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। दिनांक 07.11.2017 को की गयी सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 , 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 51 रकबा 67–15 बीघा ग्राम करवड़ पटवार हल्का करवड़ तहसील व जिला जोधपुर के सर्व प्रथम पक्षकारो को सूचित करते हुए सभी पक्षकारों की मौजूदगी में आप स्वंय मौके पर जाकर पूर्व में दिनांक 07.11.2017 को निर्धारित सीमाचिन्ह के अनुसार पत्थरगढी कर मुटाम कायम किये जाने का आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है साथ ही तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी कायम किये जाते वक्त पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर नियमानुसार पुलिस इमदाद के साथ आदेश की पालना की जावें।

(प्रीतम कुमार)IAS
उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 02/05/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर